कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर ।

फोन नं0 0141–2740219

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सभी राज्यकर्मियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2012–13 को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है । योजना में बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ` 2 लाख तथा अंग भंग होने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान देय है । इस वर्ष उक्त योजना का प्रीमियम अंशदान ` 220/– + सेवाशुल्क (12.36%) देय है । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.05.2011 से योजना का विकेन्द्रीकरण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर कर दिया गया है । सम्बन्धित कर्मी कृपया ध्यान दें :–

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी यह सुनिश्चित करलें कि जीपीए का प्रीमियम अप्रेल देय मई, 2012 के वेतन से काट लिया गया है। यदि वेतन से प्रीमियम नहीं काटा गया है तो ` 220/– + सेवाशुल्क (12.36%) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला कार्यालय के "उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग" के पक्ष में बनाकर मूल प्रस्ताव पत्र (यदि आवश्यक हो) के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

पंचायती राज संस्थाओं, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी एवं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अप्रेल 2012 का वेतन किन्हीं कारणों से आहरित नहीं किया गया है उनके बैंक ड्राफ्ट मय कटौती पत्र एवं प्रस्ताव पत्र (यदि आवश्यक हो) सम्बन्धित जिला कार्यालय को भिजवायें ।

दिनांक 01.05.2011 के पश्चात बोर्ड, कार्पोरेशन, स्थानीय निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यू0आई0टी0, सहकारी बैंक तथा कृषि उपज मण्डी समिति आदि को जारी की जाने वाली नवीन एवं नवीनीकृत समस्त पॉलिसीयों का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है ।

इस योजनान्तर्गत दिनांक 01.05.2011 से जारी होने वाली पॉलिसीज (विद्युत कर्मियों के अतिरिक्त) के दावा निस्तारण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर एवं दिनांक 01.05.2011 से पूर्व जारी पॉलिसीज के अन्तर्गत दावा निस्तारण का कार्य साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर द्वारा पूर्ववत किया जाता रहेगा । योजना के अन्तर्गत समस्त दावे विभाग के पास दुर्घटना / मृत्यु होने की तिथि से 6 माह में समस्त सम्बन्धित दस्तावेजों सहित विभाग में पहुंच जाने आवश्यक है ।

<u>योजना में निम्न स्थितियों में भुगतान देय नहीं होगाः–</u>

1. दावा प्रपत्र दुर्घटना तिथि से 6 माह बाद प्राप्त होने की स्थिति में तथा युक्तियुक्त कारणों से विलम्ब होने पर 12 माह बाद प्राप्त होने की स्थिति में ।
2. प्रीमियम राशि दुर्घटना / मृत्यु / क्षति होने के बाद प्राप्त होने पर ।
3. मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के उल्लंघन के फलस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु / क्षति होने पर ।
4. बीमारी, ऑपरेशन या प्राकृतिक मृत्यु की दशा में ।
5. आत्महत्या, नशे के प्रभाव आदि में मृत्यु/ क्षति होने पर ।
6. जहरीले कीडे के काटने पर एफ.आई.आर./पी.एम.आर./एफ.आर. व अन्य साक्ष्य दस्तावेज नहीं होने पर ।
7. डूबने से हुई मृत्यु की स्थिति में एफ.आई.आर., पी.एम.आर. तथा एफ.आर. नहीं होने पर ।
8. आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को एक वर्ष बाद "अन्तिम रजिस्टर्ड नोटिस" देकर बन्द कर दिया जाएगा ।

नोटः–

योजना की विस्तृत जानकारी एवं पॉलिसी की शर्तों हेतु विभाग के सम्भाग / जिला कार्यालयों से सम्पर्क करें अथवा विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in देखें ।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
राजस्थान, जयपुर